संख्या– /XV-2/03(53)/2003(डेरी)

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 **देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी, 2018:**

विषय– नेशनल प्रोग्राम फॉर डेरी डेवलपमेण्ट (NPDD) (जनपद नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी हेतु) के सामान्य मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 153.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1583–85/नियोजन-**NPDD** पत्रा0-II/2017–18, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 एवं भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग नई दिल्ली के सामान्य मद अन्तर्गत केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति विषयक पत्र संख्या–4-17/2017-DP, दिनांक 22 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित नेशनल प्रोग्राम फॉर डेरी डेवलपमेन्ट के सामान्य मद अन्तर्गत राज्यांश रू0 153.29 लाख (रू0 एक करोड़ तिरेपन लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा एवं तद्संबंधी स्पष्ट मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
3. मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन करते हुए किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाय।

7. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय–समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII (1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधिनित योजना–104–राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–145 **/XXVII-4/2017,** दिनांक 16 जनवरी, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 50 **(1)/XV-2/2017तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी0एस0पुन्डीर)
उप सचिव।